

											हाँ/ नहीं	गया है हां/नहीं	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)
								क्र · सं · ·	विव रण र	मात्रा	एचए स कोड	मु द्रा	आई ए न आ र
								(i i)	(i i)	(ii i)	(iv)	(i)	(i i)

ग

जीएसटीआईएन	जीएसटी चालान सं. और तिथि (जीएसटीआईएन)	चालान सं. और तिथि (जीएसटी चालान को छोड़कर)	क्या निर्यात के लिए आपूर्ति आईजीएसटी के भुगतान पर है या नहीं। कृपया स्पष्ट करें।	क्या बाँड या यूटी के एवज में	कुल आईजीएसटी का भुगतान, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

घोषणा:

- (i) मैं/हम, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त निर्यातक ने हमें कूरियर एयरवे बिल के अंतर्गत शिपमेंट की बुकिंग के लिए और उपर्युक्त वर्णित वस्तु की निकासी और निर्यात के लिए एजेंट के रूप में काम किए जाने हेतु प्राधिकृत किया है।
- (ii) मैं/हम, एतद्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि निर्यातक की घोषणा के आधार पर हम उपर्युक्त सीएसबी-V में की गई घोषणा का अनुपालन करेंगे।

प्राधिकृत कूरियर के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
प्राधिकृत कूरियर की मुहर

लेट निर्यात अधिकारी, सीमा शुल्क

(नाम और पदनाम के साथ मुहर) “ .

[फा. सं. 450/221/2016-सीमाशुल्क IV]

ज़ुबैर रियाज़

(ज़ुबैर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट:- प्रधान विनियमावली को अधिसूचना सं. 87/98-सीमा शुल्क (गै.टे.), विनांक 09 नवम्बर, 1998 को सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 09 नवम्बर, 1998 के तहत भारत के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 68/2018-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 03 अगस्त, 2018 सा.का.नि. 736(अ), दिनांक 03 अगस्त, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा शंशोधन किया गया है।